न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः 106 / 2019

प्रार्थीगण :–

1. सुमेराराम उर्फ सुमेरसिंह पुत्र बन्नाराम
2. रतनाराम पुत्र बन्नाराम
   जाति जाट निवासी बातों की ढाणी, सिंधासवा हरनियान तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. सुरेश कुमार पुत्र सोनाराम
2. गौतम पुत्र सोनाराम
3. प्यारीदेवी पत्नी तराराम
   जाति पुरोहित निवासी वाली जूनी तहसील भीनमाल हाल बागौडा जिला जालोर
4. दूदाराम पुत्र सोनाराम
5. जालमराम पुत्र सोनाराम
6. नारायणसिंह पुत्र नवाराम
7. नागजीराम पुत्र नवाराम
8. जैसाराम पुत्र नवाराम
   जाति पुरोहित निवासी खिरोडी तहसील सांचोर जिला जालोर
9. पैहलादराम पुत्र फूसाराम जाति जाट निवासी जाटों की ढाणी सिंधासवा हरनियान तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
10. तहसीलदार गुडामालानी जिला बाड़मेर

<u>राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956</u>

उपस्थितः–

1. श्री रिडमलराम चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री चिमनसिंह चौधरी अधिवक्ता संख्या 6 ता 8

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 15.03.22

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु,नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गय। विप्रार्थीगण संख्या 6 ता 8 की ओर से वकील हाजिर हुए परन्तु 2 वर्ष से अधिक का समय लिये जाने के उपरान्त भी जबाव पेश नहीं करने से जवाब का अ[illegible] किया गया, शेष विप्रार्थीगण के विरूद्ध बाबजूद नो[illegible] [illegible]य कार्यवाही की गई।

हमने प्रार्थीगण के अधिवक्ता [illegible] रिडमलराम चौधरी एवं [illegible] संख्या 6 ता 8 के अधिवक्ता श्री चिमनसिंह चौधरी की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन अध्ययन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमाबन्दी संवत् 2069–2072 सरहद मौजा बातों की ढाणी पटवार क्षेत्र सिंधासवा हरनियान तहसील गुडामालानी के खेत खसरा 387 / 1 रकबा 62–11 बीघा

उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.16 17:33:06 IST
Reason: SelfAttested

एवं ग्राम पादरडी कला पटवार क्षेत्र सिंधासवा हरनियान तहसील गुड़ामालानी के खेत खसरा संख्या 149 रकबा 8–03 बीघा का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माठे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थीगण विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को आदेशित किया जाता है दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित आराजी ग्राम बातों की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 387/1 रकबा 62–11 बीघा एवं ग्राम पादरडी कला के खेत खसरा नम्बर 149 रकबा 8–03 बीघा भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी को 1000/– शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार गुड़ामालानी को थानाधिकारी पुलिस थाना गुड़ामालानी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार गुड़ामालानी बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.26 17:32:06 IST
Reason: SelfAttested

आदेश आज दिनांक 19/3/2020 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी
उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी